जायेगा यह उत्तर नहीं आया। महोदया, यह एक बहुत जबरदस्त मामला है कि यह कितने चरण में पूरा होगा और कब यह लागू होगा, यह उत्तर नहीं आया। मैंने इस पर सवाल किया था लेकिन उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): कितने साल तक यह रहेगा .. **(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: महोदया, बोट क्लब पर दस लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या प्रधान मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जाट समुदाय को मंडल कमीशन में आप इंक्लूड करेंगे और अगर करेंगे तो जाट समुदाय के लोगों को कितना परसंटेज उसमें रखेंगे, वह यह भी मांग कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we take up Special Mentions. Shrimati Suryakanta Patil.

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: उनको कब कंपन्शेसन देंगे या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूं। सुन ही नहीं रहे चल दिये। प्राइम मिनिस्टर वाक आउट करता है और एक मूल प्रश्न का जवाब नहीं देता है, इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर के मुख्य मंत्रित्व में हजारों लोग डाकू उन्मूलन के नाम पर मारे गये और उनको कोई कंपन्शेसन नहीं दिया गया, उनको कंपन्शेसन दिया जाये।

[The Vice-Chairman (Shrimati Jayanthi Natarajan) in the Chair.]

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY (Uttar Pradesh): Mr Devi Lal's rally was enormous. We want to know whether the Government is going to resign.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANATHI NATARAJAN): We have gone to the Special Mentions. Please don't interrupt.

SPECIAL MENTIONS

Demolition by M.C.D. of Residential Settlements of Old Colonies in Trans-Yamuna Area

श्रीमती सूर्यकांता पाटिल (महाराष्ट्र): मैं सरकार का ध्यान राजधानी दिल्ली की आवासीय समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। दिल्ली में जिस तरह से अनाधिकृत बस्तियों की संख्या बढ़ रही है उससे यह बात स्पष्ट है कि सरकार दिल्ली वासियों को समय पर सस्ते एवं सुलभ घर मुहैया कराने में विफल रही है। समझ में नहीं आता कि जब इन तथाकथित अनाधिकृत बस्तियों का निर्माण शुरू होता है तो उस समय निगम के अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस अपनी आंखें बन्द किये चैन की नींद सोते हैं। जैसे ही इन बस्तियों में निर्माण पूरा हो जाता है तथा गरीब एवं असहाय जनता अपने जीवन के खून-पसीने की पूरी कमाई लगाकर अपने लिये एक घर बनाती है, तब इन अधिकारियों एवं पुलिस वालों की नींद खुलती है और अपनी पूरी शक्ति एवं बल के साथ इन गरीब एवं असहाय जनता के घर को वह क्षण भर में गिरा देते हैं। इन अधिकारियों एवं पुलिस वालों की इस संदिग्ध भूमिका का आखिर तात्पर्य क्या है? इन कालोनियों को बनने से पहले ही न रोककर इनके बस जाने के बाद इन्हें तोड़-फोड़कर उजाड़ देना कहां का इंसाफ है? अगर मैं भूल नहीं रही तो हमारे प्रधान मंत्री (जो यहां होते तो अधिक अच्छा होता), उन्होंने चुनाव के पहले दिल्ली वालों को वायदा किया था कि दिल्ली में किसी भी बसी हुई आबादी को गिराया नहीं जायेगा, इन्हें नियमित घोषित किया जायेगा एवं इन बस्तियों में सभी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जायेंगी और इसी वायदे में आकर दिल्ली वालों ने सरकार को पूरा समर्थन भी दिया। मगर एम॰सी॰डी॰ ने विगत 20 जून को अपनी एक विज्ञप्ति में जो कि हिन्दी के एक दैनिक "पंजाब केसरी" के 25 जून के अंक में प्रकाशित हुआ है, के माध्यम से हमारे माननीय प्रधान मंत्री की घोषणाओं की धज्जियां उड़ाते हुये जमुना पार की कुछ पुरानी एवं बसी-बसायी बस्तियों जैसे-सादतपुर, सोनिया विहार, खुरेजी एवं करावल नगर आदि में तोड़फोड़ करने एवं उनका अधिग्रहण करने का फैसला किया है।

4.00 P.M.

यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ हमारे प्रधान मंत्री दिल्ली की बस्तियों को नियमित करने एवं उनमें बुनियादी सुविधाओं की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ एम॰सी॰डी॰ के लोग उन्हीं की घोषणाओं को झूठा ठहरा रहे हैं। मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए कि इन बस्तियों के बसने से पहले ही प्रभावी कदम उठाकर इसे रोकना चाहिए। लेकिन बस जाने के बाद किसी भी हालत में इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। अतः मैं सदन से अपील करती हूं कि एम॰सी॰डी॰ द्वारा घोषित यमुना पार की कालोनियों को तोड़ने या अधिग्रहण करने से रोका जाए तथा सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया जाए कि वह अपने चुनावी वादों के अनुसार इन समस्त बस्तियों को नियमित घोषित करे एवं उन्हें बुनियादी जरूरत की सारी सुविधाएं,

[श्रीमती सूर्यकांता पाटिल]

जैसे—बिजली, पानी, सड़क, नाली आदि मुहैय्या कराये। अगर सरकार ऐसा करने में विफल होती है तो उक्त बस्तियों के निवासियों में रोष व्याप्त एवं असन्तोष कभी भी विस्फोटक रूप धारण कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

Death of Tribal People due to Gastroenteritis in Bastar (MP)

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश): माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की एक मानवीय समस्या की ओर आपके माध्यम से सदन का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बस्तर जिला न केवल मध्य प्रदेश का अपितु पूरे भारतवर्ष का सम्भवतः सबसे पिछड़ा जिला है। अधिकतर वहां अबोध आदिवासी निवास करते हैं और उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक परिस्थिति वास्तव में दयनीय है। *(व्यवधान)* महोदया, मैं यह कह रहा था कि यह जिला राष्ट्र का सबसे पिछड़ा जिला है। हर वर्ष ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने वाली ही होती है कि वर्षा की बूंदे जब इस जिले में पड़ती हैं तो एक अजीब सी समस्या वहां उपस्थित होती है। पेयजल, क्योंकि वहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं जिनको हम स्वास्थ्यजनक कह सकते हैं इसलिए वहां के लोग जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है उस पानी को ही अधिकतर पीते हैं। पिछले अनेक वर्षों से ऐसा हो रहा है कि वर्षा का पानी गिरता है उसी पानी को वे लोग पीते हैं। वे अबोध आदिवासी हर वर्ष पेचिश की बीमारी से, कै और दस्त से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक तो स्थिति ठीक है कि बीमारी लोगों को होती है पर बस्तर की समस्या यह है कि वहां स्वास्थ्य सम्बन्धी कोई भी सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जो लोग पेचिश के शिकार होते हैं, जिन को कै और दस्त की साधारण बीमारी होती है वे हजारों की संख्या में हर वर्ष मर जाते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं इस सदन के माध्यम से लगभग प्रत्येक वर्ष इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। कभी शासन की ओर से कारगर पहल नहीं हुई। पर यह वास्तविकता है कि यह एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के माध्यम से लोगों की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी बीमारी जिसका बहुत ही साधारण और सरल उपचार उपलब्ध है उस बीमारी से बस्तर के आदिवासी हजारों की संख्या में हर वर्ष इस मौसम में मर जाते हैं। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस वर्ष इन मरने वालों की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। इस वर्ष इस समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हजारों की संख्या में आदिवासी मारे गये हैं और वहां के स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इस समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कराया गया है, शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया है किन्तु इन निरीह और अबोध आदिवासियों की समस्या की ओर किसी का ध्यान गया ही नहीं है। शासन हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। अभी भी पेचिश की इस बीमारी से आदिवासी लोग बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हो रहे हैं। मौत के शिकार विशेषकर ऐसे लोग रहे हैं जो उम्र में कम हैं और आने वाले वर्षों में हमारे सुदृढ़ नागरिक बन सकते हैं। ऐसे छोटे बच्चे बस्तर जिले में पेचिश की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं और केन्द्रीय शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि केन्द्रीय शासन की आदिवासियों की सुरक्षा के लिए और आदिवासियों के स्वास्थ्य के लिए संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय शासन की जवाबदारी है, उत्तरदायित्व है, इसलिए राज्य शासन की तरफ से अगर कारगर पहल नहीं होती है तो केन्द्रीय शासन की ओर से वहां पर हर वर्ष चिकित्सा के विशेष दल भेजे जायें। बस्तर जिले में जो यह महामारी हर साल फैलती है जिसमें बूढ़े और बच्चे आदिवासी बड़ी संख्या में मर रहे हैं उनकी रोकथाम की जाये और उनका शीघ्र उपचार किया जाय। इस निवेदन के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती जयन्ती नटराजन): श्री बलराम सिंह यादव—अनुपस्थित।

Need to Abolish English as a Compulsory Subject in Competitive Examinations in Hindi-Speaking States

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष जी, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान संविधान की धारा 343 और 344 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आजादी के 40 वर्षों के बाद भी कांस्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आफिशियल लेंग्वेज आफ दी यूनियन शेल बी हिन्दी इन देवनागरी स्क्रिप्ट और इसी प्रकार से अन्य प्रान्तों के भी आफिशियल लेंग्वेज एक्ट हैं जिनके अन्तर्गत हिन्दी का प्रयोग होता है। उत्तर भारत में राजस्थान हिन्दी भाषी प्रान्त होने के बावजूद प्रशासनिक सेवाओं में इंगलिश की अनिवार्यता अभी तक चालीस वर्षों के बाद भी कायम रखी हुई है। राजस्थान के साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में और परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है, परन्तु राजस्थान में अंग्रेजी की अनिवार्यता अभी तक समाप्त नहीं की गई है। मैंने